न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 352/2016 दायरा दिनांक : 05.10.2016

उनवान

डॉ0 सुभाष वैद्य पुत्र श्री तेजमल, जाति महाजन, निवासी मांगरोल हाल निवासी मकान नम्बर 70/17 श्योपुर रोड़, प्रताप नगर कालोनी सांगानेर, जिला जयपुर

.... अपीलांट

बनाम

1— हेमलता पुत्री तेजमल पत्नी सुरेन्द्र सिंह जिन्दानी, जाति महाजन, निवासी मांगरोल हाल निवासी वल्लभ भवन, नाहाटा सर्किल मन्दसौर, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

2— सुनिता श्रीमाल पुत्री तेजमल पत्नी विजय कुमार श्रीमाल, जाति महाजन, निवासी मांगरोल, हाल निवासी ए वी रोड C/O श्रीमाल डिप्टीकुटर सांगरपुर जिला राजमगढ ब्यावरा

3— स्नेहलता कोठारी पुत्री तेजमल पत्नी नरेन्द्र कुमार कोठारी, जाति महाजन, निवासी मांगरोल हाल निवासी 126 न्यू कालोनी, बून्दी जिला बून्दी

4— अनिता मेहता पुत्री तेजमल पत्नी सुरेशमल मेहता, जाति महाजन, निवासी मांगरोल हाल निवासी 145 सुभाष नगर, उदयपुर, जिला उदयपुर

5— बनिता फतारिया पुत्री तेजमल पत्नी धनवंत कुमार फतारिया, जाति महाजन, निवासी मांगरोल हाल निवासी फ्लेट नं. 103 कृष्णा अपार्टमेंट 8 शिहाक नगर इन्दौर जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

6— उपपंजीयक मांगरोल जिला बारां

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री डी एन गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.11.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 11/2016 निर्णय दिनांक 01.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थियागण की पैतृक आराजी खसरा नम्बर 799/5044 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 800/5045 रकबा 2.64 हेक्टर कुल 2 किता की 4.30 हेक्टर वाके ग्राम मांगरोल में स्थित है जो अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । जमाबंदी सम्वत 2044—63 के अनुसार कुल 4 किता की 22.08 हेक्टर में अप्रार्थी क्रम 1 और मृतक कमला वैद्य का 1/6 हिस्सा दर्ज था । कमला वैद्य की मृत्यु पर फोती इंतकाल अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया है जबकि कमला वैद्य की विधिक वारिस वादीगण हैं इस कारण प्रार्थियागण राजस्व

रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है । अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान व अन्यथा खुर्द बुर्द न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 01.07.2016 को प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंटगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । उनका दावा बेरून मियाद है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को पाबन्द किया है । प्रार्थीगण का हक अभी साबित होना है । खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का जो 1/2 हिस्सा है उस पर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.07.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2

हिस्सा और माता का 1/2 हिस्सा था । अपीलांट के पिता की मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी थी इस कारण वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंटगण का कोई अधिकार नहीं है और न ही उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधि विरूद्ध है । अपीलांट का 1/2 + 1/6 रेस्पोडेंटगण भी मानते हैं, फिर भी सम्पूर्ण आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि आराजी पैतृक है जिसमें रेस्पोडेंटगण का हित निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2061–72 खाता संख्या 1088 सलंग्न है जिसमें कुल 2 किता की 4.30 हेक्टर आराजी अपीलांट के तन्हा खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2044–63 के अनुसार 4 किता की 20.08 हेक्टर आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें अपीलांट और उनकी माता का 1/6 हिस्सा दर्ज है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2 और उनकी माता का 1/2 हिस्सा निहित था और माता की मृत्यु के उपरान्त समस्त आराजी उनके खाते में दर्ज हो गयी है । रेस्पोडेंट प्रार्थीगण का यह कथन है कि मृतक

कमला वैद्य की पुत्री होने के नाते उनका वादग्रस्त आराजी में हित निहित है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साबित होगे इस स्टेज पर नहीं, फिर भी यदि प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया सही माना जाये तो भी वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग के 5/6 अर्थात 5/12 भाग में ही उनका हित निहित है शेष आराजी 1/2 + 1/6 अर्थात 7/12 आराजी के खातेदार अपीलांट बनते हैं । अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बेदखल नहीं करने और रहन बेचान न करने हेतु सम्पूर्ण आराजी के लिए पाबन्द किया है जो उचित नहीं है । रेस्पोडेंट प्रार्थीगण के हित के मध्य नजर अधिकतम उन्हें वादग्रस्त आराजी में से 5/12 हिस्से का ताफैसला दावा विक्रय न करने हेत पाबन्द किया जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिंक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2016 अपास्त किया जाता है । अपीलांट अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ता फैसला दावा वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 799/5044 रकबा 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 800/5045 रकबा 2.64 हेक्टर कुल 2 किता की 4.30 हेक्टर आराजी में से 5/12 हिस्से का विक्रय ताफैसला दावा किसी को न करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा